सराहनीय कार्य थाना साइबर क्राइम जनपद फिरोजाबाद दिनांक 28-06-2025

थाना साइबर क्राइम द्वारा डिजिटल अरैस्ट कर रुपये ठगने वाले 02 साइबर ठगों को किया गया गिरफ्तार ।

- **अभियुक्तगण फर्जी सिमों से भोले-भाले व्यक्तियों को डिजिटल अरैस्ट की धमकी देकर करते थे साइबर ठगी ।**
- **फिरोजाबाद के व्यक्ति से फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर की गयी थी 80,000/- रुपये की ठगी ।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन व सिम किये गये बरामद ।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में जनपद में साइबर क्राइम एवं डिजिटल अरैस्ट की घटनाओं पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/25 में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1. गफ्फार खान व 2. देव करन को किया गया गिरफ्तार । तलाशी के दौरान उक्त दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 04 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त सिम की गयी बरामद । अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी अनुज पुत्र मुन्नू सिंह निवासी मो0 कृष्णा नगर जलेसर रोड, थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना साइबर क्राइम पर तहरीर दी गयी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर पुलिस अधिकारी बनकर उसे फर्जी मुकदमे में फसाने की धमकी देकर 80,000/- रुपये की ठगी कर ली गयी है । घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये वादी की तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 09/25 धारा 318(4),319(2),308(3),351(4) बीएनएस व 66 (डी) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था । उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम को निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग से सम्बंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग (देवकरन व गफ्फार खान) एक साथ मिल कर ठगी का काम करते हैं । हम अन्य राज्यों से फर्जी सिम मंगाते हैं एवं बैंक खाते किराये पर लेते हैं । उन

फर्जी सिमों से विभिन्न विभागों जैसे पुलिस , इन्कम टैक्स , जीएसटी आदि के अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते हैं और उन्हें डरा धमका कर व धोखाधडी से उनसे रुपये किराये पर लिये गये खातों में ट्रांस्फर करवा लेते हैं।

अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त मुकदमे के बारे मे बताया गया कि उपरोक्त व्यक्ति को हमारे द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर कॉल किया गया था एवं धमकी दी गयी थी। बात ना मानने की दशा में उससे 01 लाख रुपये की डिमाण्ड की गयी थी। जिसमें से वादी मुकदमा उपरोक्त द्वारा डर कर 80,000/- रुपये हमारे खाते में ट्रांस्फर कर दिये गये थे।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तः-

1. देवकरन सिंह पुत्र समय सिंह, उम्र – 26 वर्ष, निवासी बडा थोक ग्राम थून, थाना - नगर, जनपद डीग, राजस्थान।
2. गफ्फार खान पुत्र अजमत खान, उम्र – 33 वर्ष, निवासी ग्राम थून, थाना - नगर, जनपद डीग, राजस्थान।

बरामदगी का विवरणः-

1. 04 अदद मोबाइल फोन।
2. अपराध में प्रयुक्त 01 सिम।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 09/25 धारा 318(4),319(2),308(3),351(4) बीएनएस व 66 (डी) आईटी एक्ट थाना साइबर अपराध, जनपद फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री राजेश सिंह प्रभारी निरीक्षक, थाना साइबर अपराध जनपद फिरोजाबाद।
2. श्री कृष्ण स्वरूप पाल निरीक्षक, थाना साइबर अपराध जनपद फिरोजाबाद।
3. मु0आ0 1078 राकेश कुमार, थाना साइबर अपराध जनपद फिरोजाबाद।
4. आरक्षी 717 हेमेन्द्र प्रताप सिंह, थाना साइबर अपराध जनपद फिरोजाबाद।
5. आरक्षी 369 संतोष कुन्तल, थाना साइबर अपराध जनपद फिरोजाबाद।
6. आरक्षी 951 अक्षय डेढा, थाना साइबर अपराध जनपद फिरोजाबाद।
7. आरक्षी 1495 मोहन ठाकुर, थाना साइबर अपराध जनपद फिरोजाबाद।
8. आरक्षी 1014 अंशुल बालियान, थाना साइबर अपराध जनपद फिरोजाबाद।
9. आरक्षी 1097 अतुल भार्गव, थाना साइबर अपराध जनपद फिरोजाबाद।